न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 29 / 2017(2017 / 00249)

श्री कमलेश पुत्र श्री देवी जाति मेहरात निवासी ग्राम बायला तहसील ब्यावर जिला–अजमेर। .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर। ..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मौहम्मद इकबाल — अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 10.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2074 में अपीलान्ट द्वारा ग्राम बायला तहसील ब्यावर व जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 1134 / 1 रकबा 194–02–00 बीघा किस्म चारागाह मे से 01–12–00 बीघा पर अनाधिकृत रूप से मकान व चारदीवारी का निमार्ण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आश्य की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार ब्यावर द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 309 / 2017 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 30.10.2017 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर उपलब्ध सामग्री को जब्त सरकार करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 30.10.2017 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस पर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु समय चाहा गया था। जिस पर रीडर के द्वारा प्रोसिडिंग पर हस्ताक्षर करवा कर आगामी पेशी बाबत कल आकर पता करने हेतु कहा गया था। किन्तु दूसरे दिन ही आक्षेपित आदेश की जानकारी दी गई। इससे साफ जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करे बिना जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट हाल ही में भारतीय सेना से रिटायर होकर आया हैं। विवादित भूमि पर अपीलान्ट, लम्बे समय से मकान बना कर निवास कर रहें है, जो कि प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से भी स्पष्ट है। अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत पर जानबुझ कर द्वेषतावश कार्यवाही की गई है, यह पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के तथ्यों से भी प्रकट है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। आक्षेपित आदेश, साईक्लोस्टाईल, अपूर्ण होने से आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलान्ट भौतिक रूप से धारित प्रश्नगत आराजी का नियमानुसार प्रीमियम व शास्ति जमा करवाकर आवासीय पट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिक प्रकिया के तहत जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से आक्षेपित आदेश दिनांक 3010.2017 प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 निरस्त फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिकमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार भी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह (सिवाय चक) दर्ज है तथा अतिकमी द्वारा राजकीय/चारागाह भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस, पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2017 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.10..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner